न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 392/2024
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

1. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. रणजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. बलवीर सिंह पुत्र श्री मोती सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमाजगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 26.7.2024

वादीगण गुरसेवक सिंह व अन्य ने प्रतिवादीगण बलवीर सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 आपस में पिता-पुत्र है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.941 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्य निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. बंटवारानुसार कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 का उक्त कृषि भूमि में कोई भी हक व हिस्सा शेष नही रहा है। प्रतिवादी सं. 1 के पास अपना जीवनयापन करने के लिये ग्राम पंचायत हरिपुरा में रिहाईशी मकान एवं दुकाने एवं अन्य पर्याप्त संसाधन है। वादीगण को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं :-

(क) **वादी सं. 1 गुरसेवक सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

चक 1 एच.आर.पी. खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
203/123	60	17,18,19,23/0.253 है.प्र., 20/0.193 है.(किला की पुर्वी दिशा में) 24/2/0.107 है., 24/3/0.038 है.
		कुल 1.350 है. कृषि भूमि

(क) **वादी सं. 2 रणजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

चक 1 एच.आर.पी. खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
203/123	60	20/0.060 है.(किला की पश्चिमी दिशा में)
202/123	59	16,17/0.253 है.प्र., 18/2/0.025 है.
		कुल 0.591 है. कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 18:58:12
Reason: SelfAttested

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 2 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीगण के द्वारा तहसील संगरिया के चक 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श–1 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1.941 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :–

(क) **वादी सं. 1 गुरसेवक सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–**

चक 1 एच.आर.पी. खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
203/123	60	17,18,19,23/0.253 है.प्र., 20/0.193 है.(किला की पुर्वी दिशा में) 24/2/0.107 है., 24/3/0.038 है. कुल 1.350 है. कृषि भूमि

(क) **वादी सं. 2 रणजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–**

चक 1 एच.आर.पी. खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

लगातार ––3

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.08.06 13:58:12 IS
Reason: SelfAttested

203/123 60 20/0.060 है.(किला की पश्चिमी दिशा में)
202/123 59 16,17/0.253 है.प्र., 18/2/0.025 है.
कुल 0.591 है. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.941 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 को 1.350 है. कृषि भूमि का तथा वादी सं. 2 को 0.591 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानुसार खाता अलग से कायम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.7.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kum
Meena
Date: 2024.08.06 13:58:12 IST
Reason: SelfAttested

(24)

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 392/2024

1. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. रणजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. बलवीर सिंह पुत्र श्री मोती सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 26.7.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप गुप्ता** वकील वादीगण मिन जानिब मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-

वादी सं. 1 गुरसेवक सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-
चक 1 एच.आर.पी. खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
203/123	60	17,18,19,23/0.253 है.प्र.,
		20/0.193 है.(किला की पूर्वी दिशा में)
		24/2/0.107 है., 24/3/0.038 है.
		कुल 1.350 है. कृषि भूमि

वादी सं. 2 रणजीत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-
चक 1 एच.आर.पी. खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
203/123	60	20/0.060 है.(किला की पश्चिमी दिशा में)
202/123	59	16,17/0.253 है.प्र., 18/2/0.025 है.
		कुल 0.591 है. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 70/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.941 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 को 1.350 है. कृषि भूमि का तथा वादी सं. 2 को 0.591 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानुसार खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X...... निल ......X...... मुब्लिक ......X......निल ......X...... बा... X ...
निल......X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी ... आज को ...
वसूलयाबी तक ......X......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक ... को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.08.06 13:58:12 IST
Reason: SelfAttested